

20 के 0 गुप्ती
एपिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग

Case No. 52/17

Order of Proceedings Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties of
pleaders where
Necessary

आज आखी केन्द्र 21/8/16

उपनिरीक्षक / प्रधान
आरक्षक / आरक्षक

द्वारा आज केन्द्र के

के 21/8/16 अधिनियम के अधीन दण्डनीय

अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग

पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0

उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

द्वारा 21/8/16

चूँकि, मागला सक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्राप्त किया गया। अगियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 307 भा0दं0सं0 / ~~307~~ अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिज्ञात यथा संगत उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नक से तर्कित कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्राक्षित कर घोषित किया गया।

अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति..... रूपये राजसात
 विजो जायें। संपत्ति..... २५२००००० मूल्यहीन होने से नष्ट कर
 व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी
 को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया
 जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के
 आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त अभिलेखागार प्रेषित किया जाये ।

2A. Receipts
Judicial magistrates first class,
Gohard District (MP)

১২৯১

निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि बुक
 डबल - रूपये अदा की जिसकी पावती दी गई।
 क० ६४९० रसीद क० ६२
 अभियुक्त / अभियुक्तगण को सजा भुगताने गई।

२७ कुंजकुवरा प्रथम अंज